न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 66/15 (वाद)

GCMS No. : 2015/00476

अनवान

1. श्री घनश्याम पिता स्वर्गीय नारायणलाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती बेबीबाई पत्नी स्वर्गीय नारायणलाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री इन्द्रलाल पिता स्वर्गीय भागीरथ जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी स्वर्गीय भागीरथ जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. श्री सुन्दरलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री भुरीलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री नटवरलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री शान्तिलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. उप पंजीयक महोदय मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खेमली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 07.11.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चन्देसरा, पटवार क्षेत्र चन्देसरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेमली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०) मे स्थित आराजी नम्बर 38, 55, 56, 159, 162, 163, 165, 320, 321, 1844, 2698, 2699 किता 13 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में से आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, किस्म मकान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 तक के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, दोनो खसरा किस्म मकान वाली भूमि में वादीगण का हक निहित होकर वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, तथा हम वादीगण के संयुक्त कब्जे उपभोग मे है।
3. यह कि हम वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

भागीरथ पिता पन्नालाल ब्राहम्ण (मूलपुरुष) फौत

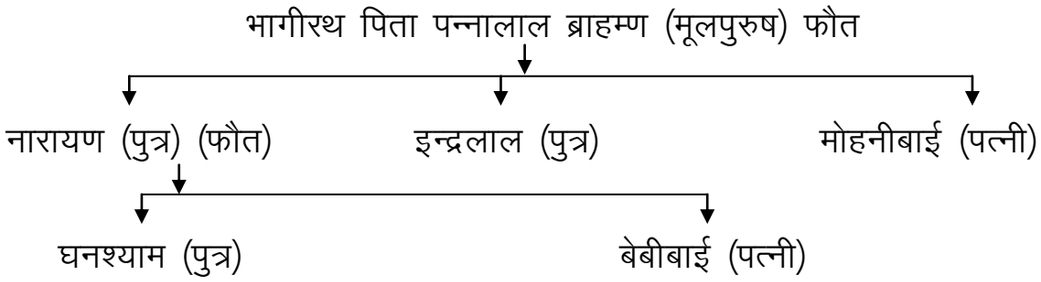

नारायण (पुत्र) (फौत) इन्द्रलाल (पुत्र) मोहनीबाई (पत्नी)

घनश्याम (पुत्र) बेबीबाई (पत्नी)

उपरोक्त सजरा अनुसार मूल पुरुष भागीरथ पिता पन्नालाल जी ब्राहम्ण, जिनका देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय भागीरथ जी के दो पुत्र हुए नारायणलाल, इन्द्रलाल, जिनमे नारायणलाल का भी देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय नारायणलाल के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण संख्या 01 व 02 एवम् इन्द्रलाल वादी संख्या 03 व मोहनीबाई वादी संख्या 04 सभी स्वर्गीय भागीरथ पिता पन्नालाल के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है।

4. यह कि वादपत्र मे अंकित आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, किस्म मकान के साबिक आराजी नम्बर क्रमशः 2487/1283 मीन. एवं 2487/1283

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Ruhadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

हो जिसका वर्तमान कुलिया क्षेत्रफल ०. 07 सात बिस्वा भूमि जिसका पुराना रकबा 0.06 छः बिस्वा भूमि जो कि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16–08–1962 को हम वादीगण के पिता/दादा/पति भागीरथ पिता पन्नालाल जी ब्राहम्ण, जिनका देहावसान हो चुका है, हम वादीगण उनके विधिक वारिस उत्तराधिकारी है, हम वादीगण के पिता/दादा/पति द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक के पिता हीरालाल पिता भागचन्द जी ब्राहम्ण, निवासी चन्देसरा, से खरीद की, जिसका एक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक के पिता हीरालाल द्वारा हम वादीगण संख्या 01 से लगायत 04 के पिता/दादा/पति भागीरथ के पक्ष में लिख सम्पादित कर उसका विधिवत् पंजीयन करवाया गया, और उक्त उपर वर्णित दोनो खसरा भूमि का मौके पर भौतिक आधिपत्य सिपुर्द किया एवं तपश्चात् भागीरथ पिता पन्नालाल द्वारा अपनी उक्त क्रयशुदा आराजीयात मे से लगभग 1/2 हिस्सा आराजीयात जरिए विक्रय ईकरार भवानीशंकर व देवीलाल पिता चतरमुज जी भीमावत ब्राहम्ण, निवासी चन्देसरा, को विक्रय कर करते हुए करार किया व मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग हम वादीगण व उक्त भवानीशंकर व देवीलाल व विधिक वारिस के उपभोग मे रखी गई तभी से हम वादीगण के स्वर्गीय पिता/दादा/पति के एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य मे चली आ रही थी व उनकी मृत्यु उपरान्त से पूर्व अर्थात उनके जीवनकाल से ही अर्थात पिछले 52 वर्षों से लगातार निरन्तर निर्विवाद उक्त खरीदशुदा किस्म भूमि मकान जिस पर हम वादीगण के कृषि कार्य हेतु बाड़ा व कृषि औजार रखने हेतु मकानात् बने हुए है, उक्त दोनो खसरा किस्म भूमि मकान पर हम वादीगण का निरन्तर निर्विवाद आधिपत्य चला आ रहा है, हम वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, लेकिन चूंकि उक्त हम वादीगण उक्त दोनो खसरा किस्म मकान पर काफी वर्षों से पुराना आधिपत्य चला आ रहा है, एडवर्स पजेशन के आधार पर भी हम वादीगण उक्त किस्म मकान की भूमि के मालिक हो गए है, उक्त दोनो खसरा किस्म मकान की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक स्वत्व नहीं है, तथा न ही कभी आधिपत्य ही रहा है, जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद की हुई साबिक आराजीयात जिनके नए आराजी नम्बर उपर अंकित किए गए है, उक्त दोनो खसरा किस्म मकान की भूमि को हम वादीगण मालिक स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

मे से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक का नाम हटवा उक्त आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, किस्म मकान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे हम वादीगंण अपने नाम संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार खातेदारी मे दर्ज करा लगान का अलग से बरफाल कराने की घोषणा कराने के अधिकारी है जिससे कि उक्त दोनो आराजीयात हम वादीगण के नाम से खातेदारी अधिकारों के साथ राजस्व रिकार्ड में अंकन हो जाने से हम वादीगण अपने पिता/दादा/पति द्वारा निष्पादित विक्रय ईकरार की पालना कर विक्रयपत्र का पंजीयन करवा सकें, जिसके लिए उक्त वादपत्र पेश है, विक्रय पत्र की फोटो कॉपी इस वादपत्र के साथ सलग्न है।

5. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्रथम द्रष्टया मामला है, क्योंकि हम वादीगण स्वर्गीय भागीरथ जी ब्राहम्ण के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है, हम वादीगण के स्वर्गीय पिता/दादा/पति द्वारा उनके जीवनकाल में जरिए रजिस्टर्ड विकयपत्र से खरीद की हुई भूमि जिसके वर्तमान आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, किस्म मकान, जिन पर हम वादीगण के काफी पुराने मकानात् कृषि औजार, घास रखने व मवेशी बांधने हेतु बने हुए है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक का उक्त दोनो खसरा किस्म भूमि मकान पर कभी कोई आधिपत्य नहीं रहा है, जबकि उक्त किस्म मकान के दोनो खसरा व कुलिया क्षेत्र हम वादीगण के संयुक्त कब्जे उपभोग मे है, हम वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन नहीं कराने की वजह से वर्तमान मे उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक के नाम संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है, जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा हम वादीगण का निरन्तर निर्विवाद पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, उक्त दोनो आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 लोभ व लालच की भावना से वसीभूत होकर व नाजायज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त दोनो आराजी किस्म भूमि मक[illegible] किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण [illegible] मौके व रिकार्ड की स्थिति को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

परिवर्तित करना चाह रहे है, व मौके पर निर्माण सामग्री डाल निर्माण कार्य कराने पर आमादा है, जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 उक्त वर्णित कृषि भूमि मे से आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार विस्वा, किस्म मकान वाली भूमि को किसी अन्य को विकय रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, न ही उक्त दोनो आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ही करावें, तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 उक्त दोनो किस्म मकान भूमि का पंजीयन नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 07 रेकर्ड मे अमल दरामद नहीं करे, प्रतिवादीगण रेकर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाए रखें।

6. यह कि वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 19—02—2015 को जब प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण की उक्त दोनो आराजीयात के कब्जे व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न की व उक्त दोनो आराजीयात मे हम वादीगण के कब्जे उपभोग की भूमि मे जबरन निर्माण सामग्री डाल निर्माण कार्य करने की धमकी दी, और प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम संयुक्त खातेदारी होने की धमकी देते हुए हम वादीगण को उक्त दोनो खसरा किस्म मकान की भूमि से ताकत के बल पर बेदखल करने व उक्त भूमि को किसी अन्य को विकय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण मौके व रेकर्ड की स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी दी, तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री प्रदान करायी जावे कि अ— कि वादपत्र मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, किस्म मकान, वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है. उक्त आराजी खसरा किस्म मकान भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 तक के नाम से हटायी जावे व उक्त दोनो खसरा किस्म मकान वाली भूमि [illegible] वादीगण के नाम हिस्से व कब्जे अनुसार संयुक्त खातेदारी [illegible] से घोषित करायी जाकर लगान का अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

बरफाल कराया जावे। ब– कि हम वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण ता–फैसला मूल वाद के निर्णय तक वादपत्र मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 320 क्षेत्रफल 0.03 तीन बिस्वा, किस्म मकान, एवं आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, किस्म मकान, जिस पर हम वादीगण के पुराने मकानात् मवेशी बांधने व घास व कृषि औजार रखने हेतु बने हुए है, तथा हमारे संयुक्त कब्जे उपभोग मे है, को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, न प्रतिवादीगण उक्त दोनो आराजी भूमि पर कोई जबरन निर्माण कार्य ही करें व न ही मौके पर निर्माण मटेरियल डाले, प्रतिवादीगण रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाए रखें, हम वादीगण को उक्त दोनो खसरा किस्म भूमि मकान का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हमारे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, यदि प्रतिवादीगण दौराने वाद किसी प्रकार का निर्माण जबरन ताकत के बल पर करा लेंवे तो उक्त निर्माण को प्रतिवादीगण स्वय के खर्चे पर ध्वस्त करवाया जाने व उपर वर्णित स्थायी निषेधाज्ञा हम वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री घनश्याम पिता नारायणलाल, पी.डब्ल्यू–2 श्री इन्द्रलाल पिता भागीरथ के शपथ पत्र पेश किये।

10. प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेज मौजा चन्देसरा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2067–70 की खाता सं. 659 प्रदर्श 1, प्रार्थी घनश्याम द्वारा पटवारी हल्का को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरासत का नामान्तरकरण खोलने बाबत प्रदर्श 2, भू.प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2023 प्रदर्श 3, विक्रय पत्र दिनांक 19.08.62 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4 प्रदर्श करवाये गये।

11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश क[illegible] किया कि कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वास्ते घोषणा करा[illegible] एवं स्था[illegible] निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

है। वादपत्र के तथ्यों में संक्षिप्तः वाद वर्णित आराजीयात मौजा चन्देसरा, पटवार क्षेत्र–चन्देसरा, तहसील मावली, वर्तमान में घासा, स्थित कृषि भूमि जो संवत् 2067 से 2070 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 659 नया, 591 पुराना हो कुल किता 13 रकबा कुल क्षेत्रफल 3.17 (तीन बीघा सत्रह बिस्वा) स्थित है। वादपत्र में वर्णित आराजीयात में आराजी संख्या 320 व 321 रकबा क्रमशः 0.03 बिस्वा व 0.04 बिस्वा किस्म मकान पूर्व में प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता हिरालाल पिता भागचन्द ब्राहम्ण के नाम पर दर्ज रहीं। हिरालाल पिता भागचन्द ब्राहम्ण द्वारा अपने नाम से अंकित उक्त दोनो ही कृषि आराजीयात खसरा संख्या 320 व 321 जिनके पूर्व साबिक आराजी नम्बर 2487/1283 मीन एवं 2487/1283 मीन रहे जो कि प्रदर्श–3 से स्पष्ट है। उक्त दोनो ही आराजीयात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिनांक 16–08–1962 जो कि प्रदर्श–4 है, के जरिए हम वादीगण के पिता/पति/दादा भागीरथ पिता पन्नालाल ब्राहम्ण को विक्रय कर आराजीयात का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। हम वादींगण के पिता/पति/दादा भागीरथ पिता पन्नालाल ब्राहम्ण द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात के कय करने के बाद से ही काबिज रहे होकर उसका उपयोग उपभोग करते रहे एवं उक्त भागीरथ पिता पन्नालाल ब्राहम्ण के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक वारिस व उत्तराधिकारीगण जो कि हम वादीगण है, एवं जो प्रदर्श–2 से स्पष्ट है, के द्वारा काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, किन्तु भागीरथ जी द्वारा उक्त दोनो ही आराजीयात क्रय कर लेने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नामान्तकरण दर्ज नहीं कराया जाने से उक्त दोनो ही आराजीयात वर्तमान में हिरालाल पिता भागचन्द ब्राहम्ण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम पर नुमाईशी रूप से खातेदारी हैसियत से दर्ज चली आ रही है, जो प्रदर्श–1 से स्पष्ट है, जबकि मौके पर हम वादीगण उक्त आराजीयात के क्रय किए जाने अर्थात दिनांक 16–08–1962 के बाद से ही काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

12. वादपत्र के कथनों के समर्थन में वादी घनश्याम व इन्दरलाल द्वारा शपथ कथन माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में दर्ज कराते हुए दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2067–70 प्रदर्श–1, [illegible] म पंचायत चन्देसरा द्वारा प्रमाणित सजरा प्रदर्श–2, खसरा [illegible] संवत [illegible]3 प्रदर्श–3, व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 16–08–1962 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4 के रूप में प्रदर्शित कराए गए। प्रतिवादीगण अनुपस्थित हो प्रतिवादींगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही संचालित की गई।

13.अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत साक्ष्य से होते हुए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा चन्देसरा स्थित आराजी खसरा संख्या 320 व 321 में से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 का नाम हटाया जाकर उक्त दोनो ही आराजीयात संयुक्त रूप से वादीगण के नाम से हिस्से व कब्जे अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से घोषित फरमा राजस्व रेकर्ड में हम वादीगण का अंकन कराया जाकर संयुक्त रूप खातेदारी में दर्ज कराई जाकर उक्त कृषि भूमि का अलग से लगान का बरफाल कराया जावे। साथ ही वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

14.हमने अधिवक्ता वादीगण की लिखित बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम चंदेसरा पटवार हल्का चंदेसरा तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2067–70 के खाता सं. 6509 पर दर्ज आराजी नम्बर 320 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 321 रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हैं। ग्राम चन्देसरा का भू.प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान सम्वत् 2023 प्रदर्श 3 अनुसार आराजी नम्बर 320, 321 के साबिक आराजी नम्बर 2487/1283 मी. होकर हिरालाल पिता भागचन्द के नाम दर्ज होना जाहिर आया हैं। हिरालाल पिता भागचन्द द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.62 से भागीरथ पिता पन्नालाल को विक्रय किया जो वादी संख्या 3 के पिता, वादी संख्या 4 के पति, वादी संख्या 1 के दादा, वादी संख्या 2 के दादा ससुर हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि हिरालाल पिता भागचन्द की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक से ही वादीगण के मौरूस भागीरथ पिता पन्नालाल खातेदार हो चुके थें। भागीरथ पिता पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात् [illegible] खातेदार काश्तकार हो चुके हैं केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मौरूस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

का नाम अंकित नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को आपत्ति नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि चंदेसरा पटवार हल्का चंदेसरा तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2067—70 के खाता सं. 6509 पर दर्ज आराजी नम्बर 320 रकबा 3 बिस्वा अर्थात् 0.0243 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 321 रकबा 4 बिस्वा अर्थात् 0.0324 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सुन्दरलाल पिता हीरालाल, भुरीलाल पिता हीरालाल, नटवरलाल पिता हीरालाल, शांतिलाल पिता हीरालाल के नाम दर्ज हैं, के बजाय वादी संख्या 3 इन्द्रलाल को 1/3 हिस्से, वादी संख्या 4 मोहनीबाई को 1/3 हिस्से एवं वादी संख्या 1, 2 घनश्याम, बेबीबाई को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री घनश्याम पिता स्वर्गीय नारायणलाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती बेबीबाई पत्नी स्वर्गीय नारायणलाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री इन्द्रलाल पिता स्वर्गीय भागीरथ जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी स्वर्गीय भागीरथ जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री सुन्दरलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री भुरीलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री नटवरलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री शान्तिलाल पिता हीरालाल जी ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. उप पंजीयक महोदय मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खेमली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 66/15 (वाद)
GCMS No. : 2015/00476

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि चंदेसरा पटवार हल्का चंदेसरा तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2067–70 के खाता सं. 6509 पर दर्ज आराजी नम्बर 320 रकबा 3 बिस्वा अर्थात् 0.0243 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 321 रकबा 4 बिस्वा अर्थात् 0.0324 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सुन्दरलाल पिता हीरालाल, भुरीलाल पिता हीरालाल, नटवरलाल पिता हीरालाल, शांतिलाल पिता हीरालाल के नाम दर्ज हैं, के बजाय वादी संख्या 3 इन्द्रलाल को 1/3 हिस्से, वादी संख्या 4 मोहनीबाई को 1/3 हिस्से एवं वादी संख्या 1, 2 घनश्याम, बेबीबाई को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested